

तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियलस जज्ञ

23/1/26 पत्रावली पेडा हुई। तदनुसारक उक्त  
हाल व्वात्रिक कार्य व्यक्ति जिसे  
जाने रखने से पत्रावली दिनांक  
27/02/26 को पेडा हो।

1/14  
23/1/26

27/02/26

पत्रावली पेडा हुई। व्वात्रिक उक्तपत्र उपाय/कदम  
उक्तपत्र के परिपंक्ष में पत्रावली पर उक्तपत्र दिनांक  
का अवलोकन किया गया। उक्तपत्र को judicial  
करने के लिये इसे निम्न 03 विद्वानों पर जॉर्नल  
आवश्यक है :- (अ) प्रथम हुक्म प्रकरण :- उक्त

खासतौरसे हकीम सुलेख की बहिन मारुती को  
164, 641 व 662 कुल दिना 03 कुल खंड 4-11  
पीठा ग्राम जमाबंदी संख्या 2012-75 से नंदा के  
वारिसान दिल्ला 1/3 एवं बाला, मानसिंह पिता मनोहर  
दिल्ला 2/3 से सहकारिणी से द्वय रिपोर्ट हुई।

संख्या विना की जमाबंदी संख्या 2012-75 के सुप्रीम  
वाकिल मारुती खण्ड 164 व 662 दिना 2 खंड  
4 बाला नंदा, मानसिंह, बाला पिता मनोहर एवं  
नानुशम वत्स देसा जामि मौल दिल्ला खण्ड 4  
खण्ड द्वय रिपोर्ट की। जमाबंदी संख्या 2012-30, से  
खण्ड 164, 662 भी यही लिखित द्वय की।

अर्थात् इस प्रकरण के परिपंक्ष  
संख्या अनुसार केशी मौल के दो पुत्र अनुरोध व



माननीय श्री न्यायाधीशों का निर्णय 1/2 व माननीय  
का निर्णय 1/2 द्वारा जारी है। अमावसी संवत् 2023  
से 28 व 2022-23 से श्री "दिलीप बराबर" 2022  
द्वारा है। अमावसी संवत् 2022-23 प्रारंभिक चरण  
को शक्यतापूर्वक ही किया है लेकिन कोई समय  
सिरेवा में पेश नहीं किया है और ना ही  
कोई समय समय की और ही पेश किया है।  
अतः उक्त सिमॉली नोट रद्दी प्रतीत होता है।

अमावसी संवत् 2022-23 से माननीय उक्त केसों  
द्वारा का नाम रद्दी का लेकिन अमावसी संवत्  
2023-24 से माननीय का नाम रद्दी नहीं है।  
माननीय का नाम रद्दी व रद्दी हटाया किन्तु  
इसका कोई भी लाहय किन्ती भी पक्ष  
ने पेश नहीं किया है। ना ही संवत् 2022-  
से मागी की अमावसीय प्रती ने पेश की  
है। अमावसीय ने माननीय से ग्राम इय (purchaser)  
करने का दाव (गोत) का हकनाम में प्राप्त करने  
प्रती के लक्ष्य में श्री कोई लाहय पेश  
नहीं किया है। अतः प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रती  
के पक्ष में जारी होता है।

(व) इतिहास का संतुलन -> अमावसीय द्वारा प्रती  
के claim के विरुद्ध या अपने अक्ष में कोई  
दस्तावेजी या मौखिक लाहय पेश नहीं किया है।  
व्यवस्था ग्राम पर विगत 8-10 वर्षों से प्रती का  
व्यवस्था होता अमावसी ने ही स्वीकार किया है  
लेकिन फॉरवर्ड (कार्ड रिक) के रूप में। यदि  
प्रती को वेरिफाई किया जावे या अमावसीय द्वारा  
ग्राम का बैचल मासि द्वारा अंतरण किया जावे  
है तो प्रती को आरक्षित अंतुविषय होता है।



तारीख  
हुसम

हुसम या कार्यवाही या सय इतिहासयस जस

(६) उपरोक्त शर्तों के अन्तर्गत स्थानीय का आदेश  
प्रमाणित की प्रमाणित की जानकारी प्रमाणित की  
साथ ही प्रमाणित प्रमाणित प्रमाणित प्रमाणित  
शर्तों का अन्तर्गत शर्तों की प्रमाणित की  
प्रमाणित शर्तों का प्रमाणित की प्रमाणित की

2. आ: उपरोक्त विषयगत व विवरण  
के अन्तर्गत पर प्रमाणित का प्रमाणित की 212  
11 Act अन्तर्गत का प्रमाणित की प्रमाणित की  
प्रमाणित की उपरोक्त का प्रमाणित की प्रमाणित की  
प्रमाणित की प्रमाणित प्रमाणित प्रमाणित प्रमाणित  
है कि वे प्रमाणित प्रमाणित प्रमाणित प्रमाणित प्रमाणित  
व 662 दिना 2 प्रमाणित प्रमाणित प्रमाणित प्रमाणित प्रमाणित  
1/2 ( जो प्रमाणित प्रमाणित प्रमाणित प्रमाणित प्रमाणित ) के  
प्रमाणित प्रमाणित व प्रमाणित की प्रमाणित प्रमाणित प्रमाणित  
प्रमाणित प्रमाणित प्रमाणित प्रमाणित प्रमाणित प्रमाणित प्रमाणित  
प्रमाणित प्रमाणित प्रमाणित प्रमाणित प्रमाणित प्रमाणित प्रमाणित



*[Handwritten Signature]*  
20/11/26

उपखण्ड अधिकारी  
मिड़वा, जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)